

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद

आदेश क्रमांक: जी-1/99/ 1328-32  
विषय : माध्यमिक स्तरीय स्थाई मान्यता ।

दिनांक : 27/8/99

गीता पब्लिक स्कूल मचहगर

1-4-99 के पत्र से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के कार्यालय में निम्नलिखित शर्तों पर प्रमाणित किया जाता है :-

1. संस्था शिक्षा विभाग की स्थायी निरीक्षण के लिए कोर्स के अंतर्गत तथा केंद्रीय सहायता की मांग नहीं करेगी तथा अपने कोर्स पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा ।
2. कोर्स में नियोजित नाम अनुसार विद्यालय में सभी अध्यापकों को आर कार्यालय के माध्यम से रसे जायेंगे ।
3. विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के छः मास के वेतन के हिसाब की राशी जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम प्रेषित करायेगी । यदि राशी प्रेषित न कराई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
4. वेतन का भुगतान के बैंक द्वारा किया जाये ।
5. सभी अध्यापकों की सीपीएस की राशी स्थानीय बैंक में जमा कराई जाये ।
6. संस्था की धारा 214-219 के अन्तर्गत सभी एजुकेशन कोड शर्तों को पूरा करना होगा यदि किसी भी समय निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
7. सीपीएस रेडकॉल तथा ट्यूट फंड की राशी का प्रेषण विभाग के नियमानुसार हर वर्ष अगस्त से पहले जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा ।
8. शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं प्रशासनिक कार्य को किसी भी समय चेक कर सकता है ।
9. एजुकेशन कोड की धारा 159 के अन्तर्गत भवन अत्यादि नाम अनुसार पूर्ण करना होगा ।

*Shalini*  
Principal  
Geeta Public School  
Machhgar (Faridabad)

(Signature)  
जिला शिक्षा अधिकारी  
फरीदाबाद

इसकी एक प्रती निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ ।
2. उपमण्डल शिक्षा अधिकारी पलवल/फरीदाबाद ।
3. सम्बंधित विद्यालय का मुखिया ।
4. बीएसईओ मिदानी ।

*(Signature)*  
Manager  
Geeta Public School  
Machhgar (Faridabad)

27.8.99  
जिला शिक्षा अधिकारी